# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोनन० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902


पत्रांक–परीक्षा/ 45 /2024–25 दिनांकः– 13 मई, 2024

## विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा **युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पद कोड–834/766/53/2024) एवं डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल (पद कोड–818/766/53/2024) के अन्तर्गत व्यायाम प्रशिक्षक** के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 10 मार्च, 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 09 मई, 2024 को प्रकाशित की गई।

तद्नुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया जायेगा–

| क्र0 सं0 | पद नाम | पद कोड | अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Category | Serial Number | सत्यापन तिथि |
| 1. | व्यायाम प्रशिक्षक | 834/766/53/2024 818/766/53/2024 | GEN | 1 से 30 तक | 22 मई, 2024 (बुद्धवार) |
| | | | SC | 31 से 38 तक | |
| | | | ST | 39 से 42 तक | |
| | | | GEN | 1 से 2 तक | |

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. आयोग द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक आर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख, प्रमाण पत्र (विज्ञापन के अनुसार) आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. **आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो**, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी के नाम/पिता/माता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य है।
5. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियों

Scanned with ACE Scanner

(अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

6. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
7. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
8. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

Scanned with ACE Scanner